राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प0 10(54)नविवि/3/05 जयपुर, दिनांक :– 22/10/2007

आदेश

विषय :– आवासीय परिसरों में संचालित गैर आवासीय गतिविधियों के नियमितिकरण के बारे में नीति।

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 10(54)नविवि/3/05 दिनांक 22.10.07 द्वारा आवासीय परिसरों में संचालित गैर आवासीय गतिविधियों के नियमितिकरण के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त नीति के अनुक्रम में आवासीय परिसरों में संचालित गैर आवासीय गतिविधियों के नियमितिकरण किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है :–

आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधियों के नियमितिकरण हेतु समय सारणी :

क्र.सं.	गतिविधियां	विभाग/संस्था जिसके द्वारा कार्य किया जाना है।	समयावधि
1.	आवासीय क्षेत्रों में संचालित गैर आवासीय गतिविधियों के नियमितिकरण अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास	15.11.07 तक
2.	गैर आवासीय गतिविधियों का निर्धारित प्रपत्रों में सर्वेक्षण कार्य	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	15.12.07 तक
3.	(a) सडक पर जितने भाग में गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन किया जाना है उस सम्बन्ध में ट्रस्ट/बोर्ड स्तर पर निर्णय	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	31.12.07 तक
	(b) सर्वेक्षण के पश्चात जिन जिन सडकों पर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण किया जाना है उनका समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर व्यापक प्रचार प्रसार कराना ।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	15.01.08 तक
4.	(1) विशेष क्षेत्र यथा परकोटे वाले क्षेत्र, शहर का पुराना क्षेत्र, रिफ्यूजी कॉलोनी आदि का मिश्रित भू–उपयोग के अन्तर्गत घोषित कराने हेतु चिन्हीकरण।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास, नगर नियोजन विभाग	15.01.08 तक

	(2) मिश्रित भू–उपयोग घोषित करने हेतु जनता से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करना।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	31.01.08 तक
	(3) प्राप्त आपत्ति/सुझावों की जांच कर प्रस्ताव मय राय के नगर नियोजन विभाग को प्रेषित करना ।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	15.02.08 तक
	(4) नगर नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावों की जांच कर राज्य सरकार को राय प्रेषित करना ।	नगर नियोजन विभाग	15.03.08 तक
	(5) राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित मास्टर प्लान में मिश्रित भु–उपयोग घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करना ।	नगरीय विकास विभाग	31.04.08 तक
5.	नियमितिकरण नीति के अनुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रों का चिन्हिकरण	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	15.12.07 तक
6.	गैर आवासीय गतिविधियों के नियमितिकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करना ।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	16.01.08 तक
7.	आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं कैम्पों का आयोजन	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	30.04.08 तक
8.	उप विभाजन नियम एवं भवन विनियम आदि में शिथिलता हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति जारी करना।	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार	31.12.07 तक
9.	कॉमन पार्किंग क्षेत्रों का चिन्हिकरण	सम्बन्धित स्थानीय निकाय /नगर विकास न्यास	31.01.08 तक
10.	आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु सम्बन्धित अधिनियमों में सींलिग का प्रावधान सम्मिलित कराना ।	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार	28.02.08 तक
11.	नियमितिकरण योग्य नहीं पाई जाने वाली गतिविधियों को हटाये जाने/बन्द कराने की कार्यवाही ।	सम्बन्धित स्थानीय निकाय/ नगर विकास न्यास	30.6.08 तक

अतः पूर्व में जारी परिपत्र में दिये गये प्रावधानो के अनुसार नियमितिकरण का कार्य उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(परविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, ...
8. जिला कलेक्टर, ...
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, एन.सी.आर., राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास, ...
13. गार्ड फाईल।

(महेश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव—प्रथम